भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1184
उत्तर देने की तारीख 27 जुलाई, 2026
5 श्रावण, 1948 शक (शक)

टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना

1184 श्रीमती रचना बनर्जी :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत के प्रदर्शन को सुदृढ़ करने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नए उच्च प्रदर्शन केंद्रों या उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के तहत उत्कृष्ट (एलीट) एथलीटों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों से खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें तराशने / बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) सरकार ने एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों तथा ओलंपिक खेलों सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत के प्रदर्शन को सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। इसके अंतर्गत प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करना तथा उनका पोषण करना, विश्वस्तरीय कोचिंग एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, आधुनिक खेल अवसंरचना तक पहुंच सुनिश्चित करना, खेल विज्ञान एवं चिकित्सा सहायता, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के माध्यम से एक्सपोज़र प्रदान करना तथा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस), राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता, खेलो इंडिया स्कीम तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों (एनसीओई) जैसी

विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है । इन पहलों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन को बेहतर बनाना है।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के नए केन्द्रों की स्थापना के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों से प्राप्त प्रस्तावों, उपयुक्त खेल अवसंरचना की उपलब्धता, एथलीट की क्षमता, विशिष्ट खेल विधाओं की आवश्यकता, तकनीकी व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के अंतर्गत पहचाने गए एथलीटों को कोचिंग, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र, खेल विज्ञान एवं चिकित्सा सहायता, उपकरण तथा अन्य एथलीट विशिष्ट आवश्यकताओं सहित कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता संबंधी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान टीओपीएस स्कीम के अंतर्गत किया गया व्यय निम्नानुसार है :

वर्ष	व्यय (करोड़ रु.)
2023-24	24.21
2024-25	17.11
2025-26	34.81

(घ) खेल राज्य का विषय होने के कारण प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने तथा उनका पोषण करने सहित खेल अवसंरचना के विकास तथा खेलों के संवर्धन का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है । देश में खेलों के संवर्धन एवं विकास के लिए केंद्र सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित निम्नलिखित स्कीमों और पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है :

(i) खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
(ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;
(iii) अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं तथा उनके कोचों को नकद पुरस्कार;
(iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
(v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
(vi) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
(vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि;
(viii) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन; तथा
(ix) राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र (एनसीएसएसआर)।

उपर्युक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

साई की खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत पहचाने गए खिलाड़ी देश के जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों सहित समाज के सभी वर्गों से हैं।

इन चयनित एथलीटों को अनुमोदित स्कीम के मानदंडों के अनुसार विशेषज्ञ कोचों, खेल उपकरणों, वैज्ञानिक सहायता, भोजन और आवास, खेल किट, प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अवसर, शैक्षिक व्यय, चिकित्सा/बीमा तथा वजीफे के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
